राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 12(9)ग्रावि / ग्रुप–3 / 2010 पार्ट–2   जयपुर, दिनांक 21 MAR 2016

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद हनुमानगढ।

विषय :– डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को देय मानदेय में सेवाकर के अतिरिक्त भुगतान बाबत।
प्रसंग :– आपका पत्रांक एफ 9(1)(61)मनरेगा / संस्था. / ।। / 3708 दिनांक 20.11.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यालय में नियमानुसार नियुक्त कार्मिकों को श्रम विभाग द्वारा घोषित अकुशल, अर्द्ध कुशल एवं कुशल श्रम के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जाना है। आपके जिले में श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश की तुलना में कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी / मानदेय नहीं दिया जा रहा है तो आगामी माह से श्रम विभाग की दरों अनुसार न्यूनतम मजदूरी / मानदेय का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें। श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी / मानदेय में सेवाकर (Service Tax) की राशि शामिल नहीं की जा सकती है। अतः उक्त भुगतान पृथक से देय होगा। सेवा ऐजेन्सी द्वारा नियुक्त कार्मिकों को भी श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी / मानदेय की राशि दिया जाना वांछनीय है। माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में तद्नुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

इस संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है आपके जिले की ग्राम पंचायतों में मशीन विद् मैन अथवा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर लगे हुए है, लेकिन ग्राम पंचायतों में कार्यभार तुलनात्मक रूप से कम हो तो उन्हें पंचायत समिति / जिले पर पदस्थापित कराया जाकर उनसे योजनान्तर्गत कार्य लिया जावे।

भवदीय,

(त्रिभुवनपति)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस (अलावा हनुमानगढ) समस्त राजस्थान।
3. श्री रिंकु छीपा, एमआईएस मैनेजर को ई–मेल वास्ते।
4. रक्षित पत्रावली।

21/03/16

परियोजना अधिकारी, ईजीएस ईजीएस